प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2024

विषय:- जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार (बन्दी क्षमता 1026) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-33131/नम-3/44/भाग-2 जनपद कुशीनगर/2023, दिनांक 08-11-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार (बन्दी क्षमता 1026) के निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 22831.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि **रू0 7991.00 लाख (रूपया उन्यासी करोड़ इक्यानबे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रायोजनान्तर्गत 594699.00 घ०मी० मिट्टी भराई हेतु रू० 1831.67 लाख जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित किये गये है। इसका क्रियान्वयन न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमद यथा एक्स-रे बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, किचन एक्विपमेंट, पी०ए० सिस्टम, हैण्ड मेटल डिटेक्टर, ई०पी०बी०एक्स० सिस्टम, वाकी-टॉकी आदि की लागत अनुमन्य नहीं की गयी है। विभाग इन कार्यमदों पर पृथक पत्रावली के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे।

(4) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक है तथा वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार ई०पी०सी० मोड द्वारा कराया जाना होगा। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(6) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्रभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति / बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है।

(8) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) गैर मानकीकृत प्रस्तावित क्षेत्रफल के आधार पर किये जा रहे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विभाग स्वयं द्वारा निर्णय लेते हुए कार्य कराया जाए।

(10) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कुर्सी क्षेत्रफल में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत् अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा ।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(14)

(15) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है।

(16) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(17) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(19) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जायेगा।

(20) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(22) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(23) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं संशोधित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(24) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(25) उपकरणों/सामग्री का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(26 कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

(27) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(28) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक एण्ड माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

(29) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(30) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(31) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 79,91,00,000 (रुपये उनासी करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-395-X-2023-24-दिनांक: 06-02-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-8 /2024/001-1054(1)-22-4-2023-364237, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज |
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(5) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(6) अधीक्षक/वरिष्ठ जेल अधीक्षक कुशीनगर।
(7)निदेशक, वित्तीय सांख्कीयि निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय व्यायक) अनुभाग-1/2
(11) गाई फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

http://shasanades.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।